सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 31, मंगलवार, शाके 1944-जून 21, 2022
Jyaistha 31, Tuesday , Saka 1944- June 21, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, मई 16, 2022

संख्या एफ.37/भूउप/(38/2021)/2022/220 :-राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 179/41 संयुक्तिकृत भूखण्ड संख्या 15 ए, 15 बी/3 का क्षेत्रफल 712.49 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख अनुसार अवासीय प्रयोजनार्थ से स्पेशलिटी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 08 फरवरी, 2022 (दैनिक नवज्योति) एवं दिनांक- 08 फरवरी, 2022 (राजस्थान पत्रिका) के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये थे। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

<u>उपान्तरण</u>

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवेदित भूमि पट्टा विलेख अनुसार अवासीय प्रयोजनार्थ से स्पेशलिटी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त उपान्तरण माननीय उच्च न्यायालय में मास्टर प्लान में भू-उपयोग उपान्तरण से संबंधी विचाराधीन रिट पिटीशन संख्या 1554/04 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक- 16 मई, 2022 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन
समिति की आज्ञा से,

राजेश वर्मा,
निदेशक आयोजना,
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।